अनवान सरकार बनाम विद्यादेवी
प्रकरण सं. 102/2025

1.25

पैरोकार राज उपस्थित। वकील श्री प्रैटी सिंह आहुजा द्वारा प्रार्थीया विद्या देवी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए गये कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 99/126 मुरब्बा नम्बर 71 के किला नम्बर 6 की 0.0500 है. कि.नं. 7,8,9 प्रत्येक की 0.253 है., कि.नं. 10/1 की 0.228 है. व 10/2 की 0.0250 है. खाला व मुरब्बा नम्बर 74 के किला नम्बर 16/1 की 0.164 है., 17 की 0.253, 18 की 0.0260है. कुल रकबा 1.505 है. नहरी कृषि भूमि है जिसकी प्रार्थीया खातेदार मालिक है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि की धारा 177 की जांच कार्यवाही हो चुकी है जबकि प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से आवासीय में परिवर्तित करवाना चाहती है जिसके लिए प्रार्थीया को समय दिया जाना न्यायहित में आवश्यक व उचित है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को नगर विकास न्यास से आवासीय में परिवर्तित करवाने हेतु प्रार्थीया को समय प्रदान किया जावे तथा तब तक कोई कार्यवाही न की जावे।

वकील प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किए गये कि प्रार्थीया अब उक्त रकबे को संपरिवर्तित करवाने हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अतिशीघ्र रुप से प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन करवा लेगें। प्रश्नगत भूमि के किस्म परिवर्तन संबंधी कार्यवाही उक्त प्रकरण के लम्बित रहते हो पानी सम्भव नहीं है। प्रार्थी उक्त पत्रावली को सशर्त भूमि किस्म परिवर्तन करवाने के आधार पर पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थीया के द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र सलंग्न प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उपरोक्त अनवानी पत्रावली को आज की पेशी में ली जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि के संबंध में की गई 177 आर.टी.ए. की कार्यवाही को समाप्त की जावे।

राज पैरोकार

वकील प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गई है तथा प्रार्थीया अपनी भूमि को संपरिवर्तन करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। माननीय न्यायालय से प्रकरण निरस्त होने पर शीघ्र ही उक्त भूमि का भू संपरिवर्तन करवा लिया जावेगा। जिसके लिए प्रार्थीया वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को पेशी में लिया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वाद इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि प्रार्थीया अपनी भूमि का संपरिवर्तन करवा सके।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहती हैं जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीया **90 दिवस** के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते,हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवा कर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 17.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner